

21-12-2020

पत्रावली पेश हुई। वही स्वयं उपस्थित

वही ने वापस बाबत दावा विद्वा पेश कर मिकेन  
क्रिया कि वही उनका दावा को आगे नहीं चलाना  
चाहता है तथा उक्त दावा में न्यायालय से कोई  
कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वापस स्वीकार  
कर उक्त उनका दावे को विद्वा क्रिये जाने की  
अनुमति प्रदान करने की सुझा करें। चूंकि दस्तावेज  
वापस को वही आगे नहीं चलाना चाहता है और  
ना ही न्यायालय दायरा से कोई कार्यवाही चाहता

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत दावा  
विज्ञा न्यायद्वित में स्वीकार किया जाता है तथा  
दस्तावेज वादपत्र को विज्ञा किये जाने की अनुमति  
पुदान की जाती है। दस्तावेज बादपत्र में आगे  
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही  
पुकरण इती स्तर पर वन्दो की जाती है। पञ्चवली  
फैमल शुमार टोकर नम्बर से कम हो तथा बड  
तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।



21/12/2020  
(राकेश कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) लघुहस्ताक्षर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डे